



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार – 249404

संख्या: 469/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 14 नवम्बर, 2024

अनर्ह सूची

असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान (PHYSICS)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान (PHYSICS) विषय हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में A.P.I. स्कोर के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 30 सितम्बर, 2024 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गए प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मात्र आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान (PHYSICS) विषय के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम-3 के अनुसार अनर्ह किया गया है:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	515054	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-04 संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-04 के अनुसार प्रमाण-पत्र वांछित है। इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-04 के अनुसार प्रमाण-पत्र संलग्न न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।
2.	514939	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-04 एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-04 के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछित है। हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-04 के अनुसार प्रमाण-पत्र संलग्न न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।
3.	514955	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव तथा राज्य स्तरीय अवार्ड का दावा किया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के दावे को सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव में 10 अंक के स्थान पर 08 अंक एवं अवार्ड में 02 अंक के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किया गया है, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए०पी०आई० स्कोर 95 अंक के स्थान पर 91 अंक होना है। भौतिक विज्ञान विषय में अनारक्षित श्रेणी का संशोधित कट-ऑफ 95 अंक है, अतः अभ्यर्थी संशोधित कट-ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-03/04 संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-03/04 के अनुसार प्रमाण-पत्र वांछित है।

		<p>4. भौतिक विज्ञान विषय में अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट-ऑफ स्कोर में स्थान धारित न करने, विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-03/04 के अनुसार प्रमाण-पत्र संलग्न न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
4.	515221	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-03/04 संलग्न नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी से विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-03/04 के अनुसार प्रमाण-पत्र वांछित है। 3. विज्ञापन में उल्लिखित पीएच0डी0 हेतु परिशिष्ट-03/04 के अनुसार प्रमाण-पत्र संलग्न न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपत्तियों से संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार- 249404 के कार्यालय को दिनांक 29 नवम्बर, 2024 (शुक्रवार) के साथ 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-
 (गिरधारी सिंह रावत)
 सचिव